

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2493/2026

1. Prince S/o Tulsiram, Aged About 21 Years, R/o Delwa Ps Padampur Sriganganagar At Present Ward No 14 Najad Desire Hospital Padampur, Dist Sriganganagar. (At Present Lodged At Central Jail Bikaner)
2. Rahul Sharma S/o Ashok Kumar, Aged About 23 Years, R/o W.no 14 Near Hanuman Mandir Padampur PS Padampur, Dist. Sriganganagar (At Present Lodged At Central Jail, Bikaner)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Manju Pandey Spouse/o Late Subhash Pandey, R/o Chotina Kuva Sadul Singh Circle Ke Pass Bikaner Kitget Bikaner

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1801/2026

Shrawan Kumar Alias Saman S/o Krishan Lal, Aged About 19 Years, R/o Ward No. 16, Near Shani Mandir, P.S. Padampur, Tehsil Padampur And District Sri Ganganagar, Rajasthan. (Presently Lodged At Central Jail Bikaner)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Manju Pandey W/o Subhash Pandey, R/o Choutina Kuva, Near Sadul Singh Circle, P.s. Kotget, Bikaner And District- Bikaner, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Shah Mr. Gaurav Nagda Mr. Baltej Singh Sandhu
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Keshav Pareek

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

27/03/2026

01. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत के यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना कोटगेट, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 19/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 74, 79, 333, 351(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की पहचान परेड नहीं करवाई गई। सीसीटीवी के फुटेज के विश्लेषण में भी प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की पहचान किसी द्वारा की गई हो, ऐसी फर्द भी नहीं बनाई गई है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण पर घटनास्थल पर आकर बदतमीजी करने और पकड़ने का आरोप पीड़िता "क" द्वारा लगाया गया है और पीड़िता की माता ने स्वयं बच्ची को पकड़कर ऊपर ले जाना, चिल्लाने पर पड़ोसियों का आ जाना तथा पड़ोसियों के आ जाने पर उनका चले जाना बताया है एवं इन लोगों द्वारा होटल के चेनल का गेट और कांच का गेट बंद करके ताला लगाने का भी आरोप है। इस मामले में होटल के कब्जे का विवाद अधिक से अधिक होना बताते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक तथा मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता व उसकी माता के बयानों का अवलोकन किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण 1. प्रिंस पुत्र तुलसीराम, 2.

राहुल पुत्र अशोक, 3. श्रवण उर्फ समन पुत्र श्री कृष्ण लाल उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

81-82-divyashri/-